


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर लिंक
कोर्ट रीवा (म.प्र.)

140



R 5170-117

R9-301-

1. श्रीमती कुशुम कली पाण्डेय पत्नी श्री सियाशरण पाण्डेय उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम चितगढ़ तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म.प्र.
2. अरुण कुमार पाण्डेय तनय श्री बद्री प्रसाद पाण्डेय उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम चितगढ़ तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म.प्र.निगरानीकर्तागण

अधिकांश अजयकुमार
पाण्डेय वेश 24.4.17

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा रा.नि.म. बिहरा जिला सतना म.प्र.
2. रामभान शर्मा तनय स्व. रामकरण शर्मा उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम चितगढ़ तहसील हुजूर जिला रामपुर बघेलान जिला सतना म.प्र.

.....गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध सीमांकन प्रकरण
कमांक 13/अ-12/2015-16 पुष्टि
दिनांक 30/06/2016 जो प्रभारी
राजस्व निरीक्षक बिहरा तहसील कोटर
जिला सतना द्वारा की गई है।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.
भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि ग्राम चितगढ़ पटवारी हल्का चितगढ़ रा.नि.म. बिहरा तहसील कोटर जिला सतना म.प्र. स्थित भूमि खसरा कमांक 504 रकवा 0.089 हे. जिसके वर्तमान में उपखण्ड क. 504/1 रकवा 0.040 हे. एवं उपखण्ड क. 504/2 रकवा 0.049 हे. वर्तमान राजस्व अभिलेखों में कायम है।
2. यह कि भूमि खसरा कमांक 504 ग्राम के राजस्व नक्शे में अभी भी मूल नम्बर के रूप में है जिसमें बंटवारा के मुताबिक कोई तरमीम कायम नहीं है जबकि


(Signature)
A01

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र० R.5170-दो/17

जिला-सतना

कुसुमकली पाण्डेय/शासन, रामभान शर्मा

(1)	(2)	(3)
23.01.18	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	